(65)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R 426-I/14

जग्गी उर्फ जगदीश कुशवाह पुत्र स्व. श्री दरयाव कुशवाह, आयु– 59 वर्ष, व्यवसाय– कृषि, निवासी– राजघाट तिराहा, दतिया

श्री ...... द्वारा आज दि. 23-12-14 को प्रस्तुत
23-12-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.......आवेदक

विरूद्ध

राममिलन पुत्र श्री बाबूलाल कुशवाह, निवासी– ग्राम करारी तहसील व जिला झांसी (उ.प्र.)

.......अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 12.11.2014 प्रकरण क्रमांक 371/13–14 अपील पारित द्वारा अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर श्री ए.के. श्रीवास्तव

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, सर्वे क्रमांक 2657/1/3, 2660/1/3, किता 2, रकवा 0.52 हैक्टेयर में से 19/83 हिस्सा एवं सर्वे क्रमांक 2657/2/2, 2657/4, 2660/2, कुल किता 3, कुल रकवा 0.16 हैक्टेयर में से 5/16 हिस्सा स्थित गिर्द दतिया तहसील व जिला दतिया के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी स्व. श्रीमती खरगो पत्नि स्व. श्री भगवान दास कुशवाह, निवासी– मिस्त्री की बगीया, राजघाट तिराहा दतिया एक मात्र स्वामी एवं मालिक थी।
2. यहकि, उक्त आराजी श्रीमती खरगो को अपने पिता दरयाव पुत्र सुन्नू से विरासतन प्राप्त हुई थी। जिसे उसने अपने जीवनकाल में खरगो को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित करके पूर्ण अधिकार दिये थे।
3. यहकि, श्रीमती खरगो लाऔलाद थी इसलिये श्रीमती खरगो की देखभाल एवं सेवा सुश्रुसा आवेदक द्वारा की जाती रही है एवं श्रीमती खरगो के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R- 4261-तीन/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/3/16	आवेदक अभिभाषक श्री- पी०के०तिवारी उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अभि० के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.